साइबर ठगों ने नया तरीका खोजा, सिमकार्ड बंद कर की ठगी

फाइल क्लिक करते सिम बंद चालू होते ही 34 लाख गायब

जालसाजी

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर जालसाज अब एपीके फाइल भेजकर सिम कार्ड सस्पेंड कराने के बाद खाते से रुपये उड़ा रहे हैं। जालसाजों ने 29 सितंबर को औद्योगिक विकास विभाग से सेवानिवृत्त अफसर मोअज्जम वारसी के मोबाइल पर एपीके लिंक भेजा। लिंक क्लिक करते ही सारे सिग्नल चले गए और सिम सस्पेंड हो गया।

उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की, लेकिन आरोप है कि कोई मदद नहीं मिली। पांचवें दिन जियो पोर्टल पर संपर्क करने के बाद सिम एक्टिवेट हुआ। बैंक खाते चेक करने पर पता चला कि दो खातों से 33.95 लाख रुपये निकल गए।साइबर थाने के इंस्पेक्टर आलोक कुमार राव के मुताबिक, मोअज्जम वारसी नजरबाग में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को लिंक क्लिक करते ही सिम बंद हो गया। हेल्पलाइन नंबर 199 पर शिकायत करने पर बताया गया कि ऑनलाइन सिम चालू करने के कई प्रयासों के कारण दिक्कत हुई है और तीन दिन बाद सिम चालू हो सकेगा। पांच अक्तूबर को जियो पोर्टल पर संपर्क करने के बाद सिम दोबारा एक्टिव हुआ। बैंक में पासबुक अपडेट कराने पर पता चला कि 29 सितंबर से चार अक्तूबर के बीच एक खाते से 33 लाख और दूसरे से 99 हजार रुपये निकाले गए। 99 हजार रुपये शैलेंद्र कुमार सिंह के बचत खाते में ट्रांसफर किए गए थे। उन्होंने 1930 पर शिकायत के बाद साइबर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

- हेल्पलाइन पर शिकायत से नहीं मिली मदद, पांचवें दिन एक्टिव हुआ सिम
- शक होने पर कराई जांच तो पता चला निकल गए रुपये

व्यवसायी के खाते से उड़ाए दो लाख रुपये

लखनऊ। कृष्णानगर के बाराबिरवा में रहने वाले प्रतुल अवस्थी का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा 32वीं वाहिनी पीएसी शाखा में है। उन्होने बताया कि 25 सितंबर को उनका मोबाइल बंद नंबर भी अचानक बंद हो गया। दो दिन बाद सिम चालू हुआ। शक होने पर पासबुक अपडेट कराई तो पता चला कि 25-26 सितंबर के बीच उनके खाते से 1.94 लाख रुपये निकल गए। कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।

यूपीआई से जालसाजों ने उड़ाई रकम

इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना आलोक राव के मुताबिक जालसाजों ने यूपीआई का इस्तेमाल कर उनके खाते से रुपये निकाले। जालसाजों की यूपीआई की जानकारी जुटा ली गई है। इसके साथ ही जालसाजों के खातों में ट्रांसफर हुई रकम में छह लाख रुपये फ्रीज करा लिए गए हैं। बाकी के रुपये जालसाजों ने म्यूल खातों से निकाल लिए। जालसाजों के बैंक खातों की चेन की पड़ताल की जा रही है।

आज के कार्यक्रम

- कांशीराम को श्रद्धांजलि, पुरानी जेल रोड, सुबह 10 बजे।
- सीपेट में फ्रेशर्स डे, सीपेट कैंपस, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, सुबह 11 बजे।
- विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सुबह 11 बजे।
- इस्तीफे को लेकर आप का प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन चौराहा, दोपहर 2 बजे।
- क्राउन ऑफ करेज का भव्य समापन, हिल्टन ग्रैंड इन, दोपहर 2.45 बजे।

बादल के बीच बर्फ के टुकड़ों से क्षतिग्रस्त हुआ था विमान

फॉलोअप

लखनऊ, मुख्य संवाददाता। पटना-लखनऊ फ्लाइट की नोज यानी अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की वजह चक्रवाती तूफान के बीच बर्फीले टुकड़ों से टकराना था। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली से आई पांच फ्लाइट कैप्टनों और विशेषज्ञों की टीम ने प्राथमिक जांच की। इसके बाद अपनी रिपोर्ट भेजी है।

वहीं, इंडिगो की ओर से जारी बयान में भी तूफानी बादलों के बीच विमान के फंसने की बात कही गई है। बुधवार की शाम को रांची हो कर पटना होते हुए आ रही फ्लाइट 6ई-925 उतरी तो उसका अगला हिस्सा पिचका हुआ मिला। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार पायलट ने एटीसी फ्लाइट इंसिडेंट में बताया कि विमान उतरते समय 'हेलस्ट्रॉम' में फंसा था। इस दौरान हल्के झटके महसूस हुए जो टर्बुलेंस हो सकता है। आज इंडिगो की टीम ने विमान की जांच की। इसके पहले बुधवार को विमान की जांच हुई।

उड़ान का क्षतिग्रस्त हिस्सा (नोज)।

धरती से 30 हजार फुट ऊपर हुई थी घटना

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जब विमान तूफान के बीच फंसा था तब उसकी ऊंचाई करीब 30 हजार फुट थी। पायलट ने उसी समय विमान को नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू की थी।

आज कई रास्तों पर बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

लखनऊ। कांशीराम के 20वें परिनिर्वाण दिवस पर आज पुराने जेल रोड स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा।

इधर रास्ता बंद रहेगा :

- कानपुर मार्ग से आ रहे वाहन आलमबाग या पारा की तरफ से काशीराम स्मारक स्थल की ओर
- बगलाबाजार पुल से गीतापल्ली मोड़, काशीराम स्मारक स्थल, पकरी पुल, बाराबिरवा चौराहा
- गोमतीनगर या हजरतगंज से कानपुर रोड जाने वाले वाहन काशीराम स्मारक स्थल की ओर
- चारबाग की ओर से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल रोड, बंगला बाजार

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

तनावग्रस्त अस्तियां प्रबन्धन, मण्डल कार्यालय लखनऊ
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ईमेल:colcksam@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

ई–नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई–नीलामी **'जहाँ है जैसा है'**, **"जहां है जो है" और "जो भी हो"** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. 827200317118A आईएफएस कोड (IFS code)-PUNB0827200)
नोडल अधिकारी - श्री निलेश कुमार झा, मुख्य प्रबन्धक, तनावग्रस्त अस्तियां प्रबन्धन, मण्डल कार्यालय लखनऊ, मो. +91 9610727388/8400313926
ई–नीलामी की तिथि व समय 27.10.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक, धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 26.10.2026

क्र सं	शाखा का नाम / खाते का विवरण / उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 / ब)बकाया राशि / स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 / द)कब्जा का प्रकार–रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य / ब)धरोहर धनराशि / स) वृद्धिशील बिड धनराशि
1	शाखा: मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा –लखनऊ –026620) खाता–मेसर्स इंगलिश रोज़ वेंडिग इवेंटस एण्ड कैटरिंग, (प्रोप अब्दुल हमीद) खाता नं. (0266210037217) उधारकर्ता–मेसर्स इंगलिश रोज़ वेंडिग इवेंटस एण्ड कैटरिंग, प्रोप अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल हलीम, पता 344/77ए, भवानीगंज, जहाजवाला मन्दिर, गांधी चौबूतरा, लखनऊ–226003 उधारकर्ता – श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुल हलीम जमानतकर्ता/बंधककर्ता–अब्दुल हलीम पुत्र श्री अब्दुल करीम, दोनों निवासी (1) 344/77ए, भवानीगंज, जहाजवाला मन्दिर, गांधी चौबूतरा, लखनऊ–226003 (2)293/456 पुराना हैदरगंज, चौक, लखनऊ 226003	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन निर्मित मकान नं. 344/77ए पर, वार्ड भवानीगंज, तहसील एवं जिला लखनऊ। क्षे. 63.19 वर्गमी सम्पत्ति मालिक अब्दुल हलीम पुत्र श्री अब्दुल करीम । चौहद्दी डीड के अनुसार –पूरब– 15 फीट चौडी रोड, पश्चिम– श्रीमती सरजू देवी का प्लाट, उत्तर–श्रीमती मुन्नी के पक्ष में मकान का शेष आधा भाग, दक्षिण–शम्भू का मकान।	अ) 11.11.2021 समाचार पत्र में प्रकाशित 06.12.2021 ब)रू. 30,45,865.50/- दिनांक 31.10.2025 को +ब्याज दि-. 01.11.2025 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर, यदि कोई हो तो स) 16.02.2022 द) सांकेतिक कब्जा	अ)रू 22,23,000/- ब)रू. 2,22,300/- स)रू. 10,000/-
2	शाखा: मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा –लखनऊ –026620) खाता–मेसर्स बजरंग, खाता नं. 0266210037226 उधारकर्ता–मेसर्स बजरंग, प्रोपराईटर श्री मनोज कुमार गुप्ता, पता–74/51 विजय नगर, नाका हिन्डोला, लखनऊ –226004 उधारकर्ता एवं बंधककर्ता– श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता, निवासी 1. 74/51 विजय नगर नाका हिंडोला लखनऊ –226004। 2. 115, अटरिया अंशिका, तहसील– सिधौली जिला–सीतापुर –261302, 3. फ्लैट नंबर एफटी–3 , तीसरी मंजिल, भूखंड नंबर 28 और 29, बब्बू वली गली, डालीगंज, वार्ड–डालीगंज लखनऊ।	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित फ्लैट नं. एफ टी–3, तृतीय तल, भूखण्ड नं. 28 एवं 29, बाबू वाली गली, डालीगंज, लखनऊ। क्षेत्रफल: 89.405 वर्गमी., जोकि श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्णचन्द्र गुप्ता के नाम है। चौहद्दी (डीड के अनुसार)– पूरब– फ्लैट नं. एस टी–3, पश्चिम: नूर मोहम्मद का मकान, उत्तर –श्री नन्द कुमार वर्मा का मकान, दक्षिण – आसमान की ओर खुला,	अ) 01.05.2019 ब)रू 41,81,995.50/- (दिनांक 31-03-2026 को + ब्याज दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, स) 09.07.2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 17,38,000/- ब)रू. 1,73,800/- स)रू. 10,000/-
3	शाखा: मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा अमीनाबाद(026600) खाता: मो. इरफान पुत्र मो. याकूब एवं श्रीमती सकीना खाता नं. .0266300013110 उधारकर्ता: स्वर्गीय मो. इरफान पुत्र मो. याकूब एवं स्वर्गीय श्रीमती सकीना पत्नी मो. याकूब के विधिक उत्तराधिकारी – 1. मो. रफीक पुत्र मो. याकूब, 2. मो. जुबैर पुत्र मो. याकूब 3. श्री वकील अहमद पुत्र मो. याकूब सभी निवासी 10, गायत्री नगर, सीतापुर रोड, निकट अवध टेन, नौबस्ता खुर्द, लखनऊ–226021	साम्यिक बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित – मकान नं. 614पी 011 (क279), प्लॉट नंबर 11, ख नंबर 279, रहीम नगर, डुडौली, फैजुल्लागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 37.17 वर्ग मीटर जोकि स्वर्गीय श्रीमती सकीना पत्नी मो. याकूब के नाम पर है। चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्वः अमन टेलर का मकान, पश्चिम: 15 फीट सड़क, उत्तर: रितेश कुमार पांडे का प्लॉट, दक्षिण: शिव कुमार का मकान।	अ) 11-03-2026 ब)रू. 8,64,931.12/- दिनांक 28.02.2026 को+ ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि-01.03.2026 से प्रभावी स) 18-05-2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 17,49,000/- ब)रू. 1,74,900/- स)रू. 10,000/-
4	शाखा: मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा अमेठी, लखनऊ – 367500) खाता का नाम–मेसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स उधारकर्ता: मेसस जय अम्बे ट्रेडर्स (प्रोप– श्री विजय कुमार, पुत्र श्री राज कुमार) पता: गंगागंज, नगराम रोड, सलेमपुर, लखनऊ–227125 2. श्री विजय कुमार, पुत्र श्री राज कुमार (प्रोप) पता: 553, आदमपुर, नौबस्ता, बहरौली, लखनऊ–227308 3. श्री राज कुमार, पुत्र राम कैलाश (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) पता: 553, आदमपुर, नौबस्ता, बहरौली, लखनऊ– 227308 4. श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री ललिता प्रसाद (जमानतकर्ता) पता: जलौदी नगर, सलेमपुर, अमेठी, लखनऊ–227125	सभी भाग एवं हिस्सों सहित संपत्ति स्थित खसरा संख्या 1444, 1445, 1447, 1448, 1449 का 1/4 भाग (नया खसरा संख्या 2494), स्थित ग्राम–सलेमपुर, परगना और तहसील–मोहनलालगंज, जिला– लखनऊ –226501 जोकि श्री राज कुमार, पुत्र श्री कैलाश के नाम पर है। क्षेत्रफल: 375 वर्ग मीटर डीड के अनुसार चौहद्दी–पूर्व –सिया राम ब्रिक फील्ड, पश्चिम: नगराम रोड, उत्तर: सड़क, दक्षिण: श्री राम का मकान	अ)17.08.2023 ब)रू. 20,10,912/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दिनांक 01.08.2023. से प्रभावी स)31.10.2023 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 69,99,000/- ब)रू. 6,99,900/- स)रू. 10,000/-
5	शाखा: मण्डल सैम लखनऊ–(मूल शाखा सप्रू मार्ग लखनऊ (030220) खाता का नाम: –मैसर्स इंडियन इन्टरप्राइजेज (0302250011884) उधारकर्ता:मैसर्स इंडियन इन्टरप्राइजेज (प्रोप. श्रीमती सरोज सिंह) पता: ई–3837, राजाजीपुरम लखनऊ–226017 श्रीमती सरोज सिंह पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह (प्रोप. मेसर्स इंडियन इन्टरप्राइजेज), पता: ई–3837, राजाजीपुरम, लखनऊ –226017 जमानतकर्ता/बंधककर्ता–जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व. स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, ई–3837, राजाजीपुरम लखनऊ–226017	प्लॉट नंबर –7, मिनजुमला खसरा नंबर 1019, ग्राम पारा, वार्ड– आलमनगर, तहसील एवं जिला लखनऊ, उ.प्र. क्षेत्रफल 66.914 वर्ग मीटर चौहद्दी: (डीड के अनुसार)– पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: प्लॉट दीगर, उत्तर: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण: प्लॉट नंबर–8, सम्पत्ति मालिक जोगेंद्र सिंह	अ) 05.05.2019 ब)रू. 10,46,904/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो दि 01.04.2019 से प्रभावी स)25.07.2019 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 8,82,000/- ब)रू. 88,200/- स)रू. 10,000/-

नोट : प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण : कोई अतिरिक्त अधिभार ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें– बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो" के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. सभी आवश्यक बिल/सरकारी शुल्क यानी टेलीफोन, बिजली, हाउस टैक्स आदि यदि कोई शेष हो तो, नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 4. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in. में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 06.10.2026 स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार